

1	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट आवेदित वन भूमि के व्यपवर्तन पर संभावित लाभों के प्रतिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।	आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित वनभूमि 54.60 हेक्टेयर के प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदक संस्था को उपयोग पर प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
---	--	---



(एस.के.सिंह)

(भा.व.से.)

वनसंरक्षक

सामान्य वनमंडल खण्डवा